प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 27.02.21

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

थाना समाधान दिवस का हुआ आयोजन, 57 शिकायतों का किया गया सफल निस्तारण

आज दिनांक 27-02-21 माह के चतुर्थ शनिवार को जनपद के समस्त थानों पर "थाना समाधान दिवस" का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी खीरी, श्री शैलेन्द्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल द्वारा थाना मितौली व थाना पसगवां पर उपस्थित रहकर "थाना समाधान दिवस" की अध्यक्षता की गई। इस दौरान प्राप्त जनशिकायतों की सुनवाई कर त्वरित व निष्पक्ष जांच कराकर समयबद्ध रूप से विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।

इसके अतिरिक्त समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा सर्किल मुख्यालय के थानों पर उपस्थित रहकर जनशिकायतों का निस्तारण कराया गया। इस दौरान जनपद के समस्त थानों पर कुल 105 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिनमें 57 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष प्रकरण के संबंध में टीम गठित कर जांच हेतु मौके पर भेजी गई।

जिलाबदर गुण्डा अभियुक्त कमर पुत्र आसिफ अवैध तमंचा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 27.02.2021 को थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान पुवायां रोड, कस्बा मोहम्मदी से गोवध अपराधों का शातिर जिलाबदर, गुण्डा व गिरोहबंद अभियुक्त कमर पुत्र आसिफ उर्फ आशिक नि0 मो0 देवीस्थान कस्बा व थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त थाना मोहम्मदी का गोवध अपराधों का अभ्यस्त व गिरोहबंद अपराधी है जिसके विरूद्ध थाना मोहम्मदी पूर्व से करीब 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में मु0अ0सं0 98/21 धारा 3/5 आयुध अधि0 व मु0अ0सं0 99/21 धारा 3(1)10 गुण्डा अधि0 पंजीकृत करके अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

<u>आपराधिक इतिहासः-</u>

1. मु0अ0सं0 1020/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु कू्ररता अधि0 व 41/411 भादवि थाना मोहम्मदी खीरी
2. मु0अ0स0 535/15 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु कू्ररता अधि0 थाना मोहम्मदी खीरी
3. मु0अ0सं0 36/15 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु कू्ररता अधि0 थाना मोहम्मदी खीरी
4. मु0अ0सं.0 284/15 धारा धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु कू्ररता अधि0 थाना मोहम्मदी खीरी
5. मु0अ0सं0 180/16 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु कू्ररता अधि0 थाना मोहम्मदी खीरी
6. मु0अ0सं0 181/16 धारा 379/411 भादवि थाना मोहम्मदी खीरी
7. मु0अ0सं 304/16 धारा 2/3 यूपी गैगस्टर एक्ट थाना मोहम्मदी खीरी
8. मु0अ0सं0 98/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मोहम्मदी खीरी
9. मु0अ0सं0 99/2021 धारा धारा 3(1)10 गुण्डा अधि0 थाना मोहम्मदी खीरी

<u>पुलिस टीमः-</u>

1. नि0 ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक थाना मोहम्मदी खीरी
2. उ0नि0 जगपाल सिंह, प्रभारी कस्बा चैकी, थाना मोहम्मदी खीरी
3. का राहुल कुमार, थाना मोहम्मदी खीरी
4. का0 कपिल कुमार, थाना मोहम्मदी खीरी
5. का0 विशाल कुशवाहा, थाना मोहम्मदी खीरी

<u>वामा सारथी, उ०प्र० पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में "निःशुल्क नेत्र परिक्षण शिविर" का आयोजन</u>

आज दिनांक 27.02.2021 को वामा सारथी, उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन; जनपद अध्यक्षा वामा सारथी, पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन, जनपद खीरी, श्रीमती अंशू (पत्नी पुलिस अधीक्षक खीरी) की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में "निःशुल्क नेत्र परिक्षण शिविर" का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में पुलिसकर्मी एवं उनके परिवारीजन उपस्थित हुए। शिविर के दौरान के दौरान डॉ० राम अवध चक्रवर्ती, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं उनकी सहयोगी चिकित्सक दल द्वारा समस्त पुलिसकर्मियों एवं उनके परिवारीजन के आँखों की जाॅच की गई तथा जांच के आधार पर ज्ञात नेत्र विकारों के उपचार हेतु लाभप्रद परामर्श देकर आवश्यक दवाईया भी उपलब्ध कराई गईं। साथ ही आँखों को स्वस्थ रखनेे, आँखों की दृष्टि मजबूत बनाने व किसी भी प्रकार के विकारों से दूर रखने हेतु विभिन्न सुझाव एवं सूक्ष्म व्यायाम भी बताए गए। इसके अतिरिक्त अपने भोजन में पौष्टिक आहार को शामिल करने एवं किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत ही नेत्र चिकित्सक से परामर्श लेकर समय पर उचित उपचार कराने हेतु जागरूक किया गया।

<u>थाना मैलानी पुलिस द्वारा 02 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 27.02.2021 को थाना मैलानी पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 53/21 धारा 147/148/307/504/506 भादवि मे 02 वांछित अभियुक्तों महेश व लालता प्रसाद पुत्रगण शंभुदयाल नि0 ग्राम वासुकपुर थाना मैलानी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

<u>थाना ईसानगर पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 27.02.21 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 84/21 धारा 326/323/504 भादवि में वांछित अभियुक्त सुरेन्द्र यादव पुत्र हरद्वारी यादव नि0 कोठारपुर मजरा लालपुर थाना ईसानगर खीरी को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना मैलानी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 53/21 धारा 307/147/148/504/506 भादवि0 में वांछित अभियुक्तगण 1. महेन्द्र 2. लालता पुत्रगण शम्भू दयाल नि0गण वानिकपुर थाना मैलानी खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अ0सं0 1424/11 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में वारंटी अभियुक्त सरताज पुत्र सफीउल्ला नि0 देवीस्थान थाना मोहम्मदी खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना कोतवाली सदर पुलिस पुलिस द्वारा अ0सं0 40/13 धारा 376/371 भादवि0 में वारंटी अभियुक्त राजू पुत्र दीन मोहम्मद नि0 रंगीलानगर थाना कोतवाली सदर खीरी व अ0सं0 93/05 धारा 376/371 भादवि0 में वारंटी अभियुक्तगण 1. अमर सिंह पुत्र श्रीपाल 2. मुनेजर उर्फ मुनीजर पुत्र श्रीपाल 3. प्रमोद पुत्र श्रीपाल नि0गण सेउढा थाना कोतवाली सदर खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **220 लीटर अवैध कच्ची शराब, 06 अवैध शराब भट्ठी बरामद कर 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार** किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना हैदराबाद	80 लीटर	04 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना मैलानी	40 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना निघासन	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना कोतवाली सदर	15 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना मोहम्मदी	15 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना फूलबेहड़	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
7.	थाना ईसानगर	15 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
8.	थाना सिंगाही	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
9.	थाना गौरीफंटा	05 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	220 लीटर	15 अभियुक्त गिरफ्तार